झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड होटल विलास-वस्तु कराधान विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड होटल विलास-वस्तु कराधान विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. कर का उदग्रहण ।
4. कर समाहितकरण ।
5. स्वत्वधारी द्वारा कर का संग्रह ।
6. निबंधन ।
7. विवरणी ।
8. कर की अदायगी ।
9. कर का निर्धारण ।
10. अवधि का विस्तार ।
11. चूक की स्थिति में दायित्व ।
12. कर-निर्धारण के पूर्व किराया का छूट जाना ।
13. कर-निर्धारण के पश्चात् किराया का कराधान छूट जाना ।
14. करों की वसूली ।
15. विशेष रीति से वसूली ।
16. व्यवसाय के हस्तांतरण की स्थिति में कर-भुगतान की देयता ।
17. विघटित फर्म अथवा एशोसियेशन की धारा 3 और 4 के अधीन कर-भुगतान की देयता ।
18. लेखा-पुस्तों का संधारण ।
19. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण ।
20. विमुक्ति ।

21. अपील ।

22. पुनरीक्षण ।

23. अभिलेख मांग करने की शक्ति ।

24. पुनर्विलोकन ।

25. वापसी ।

26. अपराध और शास्ति ।

27. अपराधों का प्रशमन ।

28. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन ।

29. नियम बनाने की शक्ति ।

30. निरसन और व्यावृत्ति ।

31. कठिनाईयों का निराकरण ।

32. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ ।

झारखण्ड होटल विलास–वस्तु कराधान विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

(झारखण्ड अधिनियम संख्या....., 2011)

झारखण्ड राज्य में होटलों में विलास–वस्तु पर कराधान हेतु विधेयक।

भारतीय गणराज्य की स्थापना के 62वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा यह अधिनियम अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** – (1) यह विधेयक झारखण्ड होटल विलास–वस्तु कराधान अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (3) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त समझी जाएगी, जिस तिथि से झारखण्ड होटल विलास–वस्तु कराधान अध्यादेश, 2011 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या 04, 2011) प्रभावी की गयी है।

2. **परिभाषाएँ** – इस अधिनियम में, जबतक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो–

   (क) "सहायक आयुक्त" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त'

   (ख) ''प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है कि इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली में परिभाषित प्राधिकारी।

   (ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य–कर आयुक्त एवं वाणिज्य–कर अपर आयुक्त' भी इसमें सम्मिलित हैं।

   (घ) "वाणिज्य–कर पदाधिकारी" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य–कर पदाधिकारी'

   (ङ) "उपायुक्त" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य–कर उपायुक्त'

(च) "होटल" में भोजन गृह, आवास–गृह, दावत–हॉल, विवाह–हॉल या घर या रेस्टोरेंट या कोई दूसरा हॉल या क्लब या सोसाइटी या भवन जिसमें ऐसे परिसर/मैदान या कोर्ट यार्ड जो खुला या अन्यथा हो और रेस्तरां (होटल में या अन्यथा) भी सम्मिलित हैं जहाँ किसी व्यक्ति को विलास वस्तु के साथ किराये पर कोई कमरा दिया जाता है।

(छ) "संयुक्त आयुक्त" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त 'वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त'

(ज) "विलास–वस्तु" से अभिप्रेत है ऐसी सुख–सुविधायें जो किसी होटल के ऐसे कमरों या कमरों के सेट के अधिभोगियों/किरायेदारों को दी जाती है, जिनका किराया प्रतिदिन या या उसके अंश के लिए दो सौ रूपये या उससे अधिक हो।

(झ) "मास" से अभिप्रेत है कैलेन्डर मास या इसका कोई भाग।

(ञ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

(ट) होटल के सम्बन्ध में "स्वत्वधारी" में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो स्वत्वधारी है या उस समय संलग्नता या अन्यथा आधार पर उसके प्रबन्ध का प्रभारी हो,

(ठ) "तिमाही" से अभिप्रेत है 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही,

(ड) "किराया" से अभिप्रेत है किसी होटल में किसी कमरे या कमरों के अधिभोगी/किरायेदार से वसूले गये सभी प्रभारों का जोड़ चाहे वह जिस किसी भी नाम से ज्ञात हो और इसमें स्वत्वधारी द्वारा ली गई कोई रकम जिसमें आवास, भोजन या सेवा प्रभार या अन्यथा सम्मिलित हैं,

(ढ) **"व्यक्ति"** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(i) कोई व्यक्ति
(ii) संयुक्त परिवार
(iii) कंपनी
(iv) फर्म
(v) व्यक्तियों का संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं एवं इसमें क्लब या सोसाईटी या सहकारी सोसाईटी के प्रभारी व्यक्ति शामिल हैं।
(vi) केन्द्र सरकार या झारखंड सरकार या भारत का कोई अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र,
(vii) स्थानीय प्राधिकरण या किसी विधि के अन्तर्गत स्थापित कोई प्राधिकार।

स्पष्टीकरण (i) –जहाँ कमरे के किराये की दर सिर्फ कमरे के अधिभोग के लिए प्रभारित नहीं है और जिसमें भोजन तथा सेवा प्रभार शामिल है तो प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए वसूली गई वास्तविक रकम (भोजन या पेय के लिए चुकाई गई रकम को छोड़कर) और सेवा प्रभार तथा किसी मनोरंजन आदि के लिये दी गई किराया की रकम को जोड़ दिया जायेगा और इस जोड़ को ही कुल किराया माना जायेगा।

स्पष्टीकरण (ii) –जहाँ प्रभार दैनिक आधार से भिन्न अन्यथा उद्ग्रहीत किया जाये तो प्रभार कमरे के अधिभोग की उस अवधि के आधार पर जिसके प्रभार लिया जाए दैनिक प्रभार के रूप में संगणित कर लिया जाएगा।

(ण) "कमरे" में कमरा या कमरों का सूट, दावत–हॉल, विवाह–हॉल या घर या कोई दूसरा हॉल या भवन जिसमें ऐसे परिसर चाहे वो खुला या अन्यथा हो भी सम्मिलित है जो साधारणतः एक यूनिट के रूप में किराये पर दिया जाता है,

(त) "कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत कर,

(थ) "न्यायाधिकरण" से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 3 के अधीन गठित न्यायाधिकरण, और

(द) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष।

3. **कर का उद्ग्रहण** – (1) विलासिता कर का भुगतान होटल के स्वत्वधारी द्वारा विलास वस्तु से सम्पन्न होटल के कमरे अथवा होटल के सूट के किराये पर राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर दर के अनुसार उद्ग्रहित एवं भुगतान किया जाएगा।

(2) इस धारा की उपधारा (1) में विहित अन्य बातों के रहते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर में संशोधन, परिवर्तन, वृद्धि एवं कमी कर सकेगी।

व्याख्या – इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु दिन का अभिप्रेत है अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ कलेण्डर दिन।

4. **कर समाहितकरण** – इस अधिनियम की धारा 3 में विहित अन्य बातों के रहते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन किसी होटल या होटलों की श्रेणी या वर्ग के स्वत्वधारी द्वारा देय विलासिता कर के बदले कर समाहितकरण के रूप में एकमुश्त राशि के भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकती है।

5. **स्वत्वधारी द्वारा कर का संग्रह** – धारा 3 के अधीन कर देने का दायी प्रत्येक स्वत्वधारी, उस व्यक्ति से जिसे उसने विलास वस्तुओं के साथ कमरा दिया हो उक्त धारा के अधीन देय कर की रकम किराये के साथ वसूल करेगा।

6. **निबंधन** – प्रत्येक स्वत्वधारी, जो धारा 3 के अधीन कर देने का दायी हो, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के एक माह के भीतर अथवा उस तिथि से एक मास के

भीतर जिस तिथि को वह होटल में विलास–वस्तु के साथ कमरा उपबन्धित करना प्रारम्भ करें, विहित रीति से निबंधन प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन करेगा।

7. **विवरणी** – (1) इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी प्रत्येक स्वत्वधारी विहित रीति से प्रत्येक तिमाही के लिए अगले माह की पच्चीसवें तिथि तक विवरणी दाखिल करेगा।
(2) यदि कोई स्वत्वधारी उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के उपरांत दाखिल विवरणियों में कोई त्रुटि या भूल पाता है, तो वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व बिना धारा 12 एवं 13 के पूर्वाग्रह के संशोधित विवरणी दाखिल कर सकेगा।

8. **कर की अदायगी** – (1) स्वत्वधारी द्वारा धारा 3 और धारा 4 के अधीन भुगतेय कर–राशि, जिसके लिए धारा 7 के अधीन विवरणी या संशोधित विवरण दाखिल की गयी है, राज्य सरकार को प्रत्येक मास की पन्द्रहवीं तारीख तक एवं संशोधित विवरणी के अनुसार अंतर–राशि को संबंधित वर्ष के समाप्ति तक सरकारी कोषागार में अथवा अन्य तरीके से जो विहित की जाए, जमा कर दिया जाएगा।
(2) प्रत्येक स्वत्वधारी धारा 6 के अधीन दाखिल की जाने वाली विवरणी के साथ यथा विहित चालान, कर जमा दर्शाते हुए संलग्न करेगा।

9. **कर का निर्धारण** – (1) स्वत्वधारी द्वारा देय कर का निर्धारण विहित प्राधिकारी द्वारा लेखा या रजिस्टरों और ऐसे अन्य साक्ष्यों की, जिनकी विहित प्राधिकारी अपेक्षा करे, जॉच करने के बाद विहित रीति से किया जाएगा,

(2) यदि स्वत्वधारी उप–धारा (1) के अधीन यथापेक्षित कर–निर्धारण के लिए विवरणी नहीं दें अथवा लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहे तो विहित प्राधिकारी, स्वत्वधारी की सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अपने सर्वोत्तम विवेक वृद्धि के अनुसार ऐसे स्वत्वधारी द्वारा देय कर की रकम का निर्धारण कर सकेगा, और

(3) यदि विहित प्राधिकारी को, मिली जानकारी के आधार पर, समाधान हो जाए कि स्वत्वधारी किसी अवधि के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी है और फिर भी धारा 6 के अधीन उन्होंने अपने निबन्धन हेतु आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करके भी उचित समय के भीतर निबन्धन हेतु अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और इस कारण कर के लिए निबन्धन हेतु दिया गया उसका आवेदन नामंजूर किया जा चुका है तो विहित प्राधिकारी, स्वत्वधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपने सर्वोत्तम विवेक के अनुसार ऐसी अवधि के सम्बन्ध में कर की रकम का निर्धारण करेगा और शास्ति भी अधिरोपित करेगा जो निर्धारित कर की रकम के बराबर होगा।

10. **अवधि का विस्तार** – विहित प्राधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, धारा 7 के अधीन विवरणी दाखिल करने या धारा 8 के अधीन कर या निर्धारित कर का भुगतान करने की तारीख नियत तारीख से 20 दिनों से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

11. **चूक की स्थिति में दायित्व** – यदि कोई स्वत्वधारी या तो धारा 7 के अधीन नियत या बढ़ाई गयी तिथि के भीतर विवरणी दाखिल न करें या धारा 8 के अधीन देय कर या धारा 9 के अधीन निर्धारित कर या अधिरोपित शास्ति की रकम न चुकाए तो वह शास्ति के तौर पर, व्यतिक्रम के हरेक दिन के लिए बीस रूपये की दर से संगणित राशि या प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिये, शोध्य कर की रकम के ढाई प्रतिशत की दर से ब्याज, जो भी अधिक हो, चुकाने का भागी होगा।

12. **कर–निर्धारण के पूर्व किराया का छूट जाना** – (1) यदि विहित प्राधिकारी, किसी कार्रवाई के कम में या अन्यथा संतुष्ट हों कि कोई स्वत्वधारी :–

(क) किसी किराया की राशि या उसके विवरण को इस अधिनियम के अधीन उनके द्वारा भुगतेय कर–राशि को कम करने के उद्देश्य से छिपाया है अथवा

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अधीन दाखिल विवरणियों में किराया का गलत विवरण दाखिल किया है।

विहित प्राधिकारी, ऐसे स्वत्वधारी को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, लिखित आदेश में निदेश देंगे कि धारा 9 के अधीन निर्धारित किये जाने वाले कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में छुपाये गये किराये के विवरण पर शोध्य कर राशि की दोगुणी से अनधिक किन्तु शोध्य कर से कम नहीं, के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति या अधिरोपण कर निर्धारण के पूर्व, किया जा सकेगा और शास्ति की राशि के निर्धारण के लिए विहित प्राधिकारी कर राशि का निर्धारण औपबंधिक रूप से कर सकेगा।

13. **कर–निर्धारण के पष्चात् किराया का कराधान छूट जाना** – (1) यदि विहित प्राधिकारी किसी सूचना की प्राप्ति अथवा अन्यथा इस बात से संतुष्ट हों, कि ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि स्वत्वधारी के किराये की कोई राशि का कराधान छूट अथवा अवनिर्धारण हो गया है अथवा किराये की राशि पर उपयुक्त कर दर से न्यूनतर दर पर कर निर्धारण हो गया है, तो विहित प्राधिकारी स्वत्वधारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के उपरांत ऐसी छूटी हुई किराये की राशि पर पुनर्कर निर्धारण करेगा। धारा 9 के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे इस धारा के अधीन निर्गत नोटिस धारा 9 के अधीन तामिल किया गया हो।

(2) यदि विहित प्राधिकारी को विश्वास करने का ऐसा कारण हो कि स्वत्वधारी ने किराये की राशि को छिपाया है तो वे स्वत्वधारी को, उपधारा (1) के अधीन निर्धारित कर राशि के अतिरिक्त शास्ति के रूप में निर्धारित किये गये अथवा किये जाने वाले, छूटे हुए किराये की राशि पर कर राशि का तीन गुणा अनधिक किन्तु करसे कम नही के बराबर राशि के भुगतान का निदेश देगा।

इस धारा के अधीन मूल कर निर्धारण आदेश के तिथि के आठ वर्षो के समाप्ति के उपरान्त कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी।

14. **कर की वसूली** – (1) इस अधिनियम के अधीन भुगतेय कर का भुगतान नीचे प्रावधानित रूप से की जायेगी – (क) जहाँ स्वत्वधारी द्वारा दाखिल विवरणियों के अनुरूप पूर्ण कर का भुगतान नहीं किया गया हो; अथवा

(ख) धारा 9 अथवा 12 अथवा 13 के अधीन निर्धारित अथवा अपील, पुनरीक्षण, निर्देशन अथवा पुनर्विलोकन आदेश के अनुपालन में पारित प्रतिफल आदेश में अधिरोपित कर की राशि से स्वत्वधारी द्वारा पूर्व में भुगतान की गयी राशि, यदि कोई हो, को घटा कर शेष कर राशि।

(ग) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति या ब्याज की राशि, यदि कोई हो।

स्वत्वधारी द्वारा सरकारी कोषागार में अथवा अन्य विहित तरीके से विहित प्राधिकारी द्वारा निर्गत सूचना में वर्णित तिथि तक जो सामान्यतया सूचना तामिला के 45 दिनों से अनधिक अवधि के अन्दर भुगतान की जायेगी।

परन्तु विहित प्राधिकारी किसी स्वत्वधारी विशेष के मामले में, अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी भुगतान की तिथि का अवधि विस्तार अथवा देय कर एवं ब्याज अथवा दोनों एवं आरोपित शास्ति, यदि हो, का किस्तों में भुगतान की अनुमति दे सकेगा।

परन्तु यह भी कि यदि विहित प्राधिकारी राजस्व हित में त्वरित वसूली आवश्यक समझते हों तो अभिलिखित कारणों से स्वत्वधारी को तत्काल भुगतान करने का निदेश दे सकेगा।

(2) यदि युक्तियुक्त कारणों के बिना, कोई स्वत्वधारी उप धारा (1) के अधीन निर्गत सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि अथवा द्वितीय परन्तुक के अधीन निदेशित तत्काल कर अथवा ब्याज अथवा दोनों का भुगतान करने में विफल होते हैं, अथवा उक्त उपधाराके प्रथम परन्तुक के अधीन विस्तारित तिथि तक कर अथवा ब्याज अथवा दोनों के भुगतान में विफल रहते हैं या किस्तों के भुगतान में चुक करते हैं तो विहित प्राधिकारी स्वत्वधारी को विहित तरीके से ऐसी चूक के लिए शास्ति के रूप में कर अथवा ब्याज अथवा दोनों की राशि के 5 प्रतिशत तक भुगतेय तिथि से प्रत्येक प्रथम तीन माह के लिए तथा 10 प्रतिशत तक उत्तरावर्ती माहों अथवा उसके अंश के लिए भुगतान का निदेश देगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई कर अथवा ब्याज अथवा दोनों जो उपधारा (1) में निर्गत सूचना में विनिर्दिष्ट तिथि अथवा उपधारा (2) में अधिरोपित शास्ति राशि जो भुगतान के लिए लम्बित हो, की वसूली, किसी अन्य तरीके से वसूली के प्रावधान को अक्षुण रखते हुए, इस प्रकार वसूलनीय होगी मानों वह भू–राजस्व का बकाया हो।

15. **विशेष रीति से वसूली** – (1) इस अधिनियम या किसी विधि या संविदा के किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कराधान और कर अथवा ब्याज अथवा दोनों अथवा अधिरोपित शास्ति के लिए विहित प्राधिकारी किसी समय लिखित सूचना (जिसकी एक प्रति स्वत्वधारी को भी दी जाएगी) द्वारा निदेशित कर सकेगा –

(क) कोई व्यक्ति जो स्वत्वधारी के निमित्त कोई धन–राशि रखता हो अथवा रखने वाला हो, अथवा

(ख) ऐसा स्वत्वधारी जिस पर तामिल मांग–पत्र में विनिर्दिष्ट कर अथवा ब्याज अथवा दोनों अथवा उक्त सूचना के अनुसार भुगतेय शास्ति का भुगतान, विनिर्दिष्ट तिथि तक करने में चूक की गई हो अथवा भुगतान की तिथि का विस्तार, सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया हो, ऐसे स्वत्वधारी के धन–राशि रखने वाले कोई व्यक्ति जिसके पास स्वत्वधारी के धन–राशि का पावना हो अथवा भविष्य में धन के पावना बने को विहित रीति से सरकारी खजाने में तत्काल अथवा जब भी स्वत्वधारी का पावना बने, जिससे कि स्वत्वधारी से पूरी मांग की राशि का भुगतान हो जाए, भुगतान करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना निर्गत करने वाले प्राधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना को संशोधित/समाप्त अथवा भुगतान की तिथि बढ़ा सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्गत सूचना के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान, स्वत्वधारी के प्राधिकार के अन्तर्गत माना जाएगा और सरकारी कोषागार द्वारा निर्गत रसीद को यह मान लिया जाएगा कि उक्त व्यक्ति ने रसीद में निहित राशि तक व्यवसायी के प्रति अपनी देयता का पूर्ण एवं पर्याप्त निर्वहन किया है।

(4) उपधारा (1) के अधीन जारी कि गए नोटिस की तामील हो जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति व्यवसायी के देयताओं का निर्वहन नहीं करता है तो वह कर–राशि और सूद अथवा शास्ति की राशि की सीमा, तक राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन किसी राशि हेतु राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो और यदि वह राशि अदत्त रहता है, तो वह राशि उससे भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूलनीय होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (4) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी सुनवाई का अवसर देने के उपरांत, लिखित आदेश के रूप में ऐसे व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन भुगतेय राषि के दोगुनी अनधिक राशि शास्ति के रूप में भुगतान करने का निदेश देगा।

16. **व्यवसाय के हस्तांतरण की स्थिति में कर–भुगतान की देयता** – (1) जब स्वत्वधारी के व्यवसाय का स्वामित्व पूर्ण रूप से हस्तांतरित होती है, तब अंतरितक और अंतरिती दोनों संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से ऐसे व्यवसाय के संबंध में व्यवसाय हस्तांतरण के समय अदत्त किसी कर ब्याज अथवा शास्ति यदि हो के भुगतान करने हेतु अंतरिती भी ऐसे हस्तांतरण की तिथि से कर भुगतान करने तथा तत्काल निबंधन प्रमाण पत्र के निग्रमन हेतु आवेदन देगा बशर्त्ते ऐसा प्रमाण पत्र उनके पास हो।

(2) अधिनियम के अधीन, जहां स्वत्वधारी कर भुगतान हेतु दायी हो, अपना व्यवसाय का एक हिस्सा हस्तांतरित करता हो, अंतरितक उस हद तक ही कर भुगतान करने का देय होगा, जिस अंश तक व्यवसाय हस्तांतरित किया गया है।

17. **विघटित फर्म अथवा एशोसियेशन की धारा 3 और 4 के अधीन कर–भुगतान की देयता** – जहाँ धारा 3 और 4 के अधीन कर भुगतान के दायी स्वत्वधारी फर्म या एशोसियेशन विघटित अथवा टूटती है, जैसी स्थिति हो;

(क) इस अधिनियम के अधीन उक्त फर्म या संघ के उक्त विघटन की तिथि अथवा अवधि तक देय कर राशि या ब्याज अथवा दोनों का निर्धारण किया जा सकता है; मानो कोई विघटन या टूटन नहीं हुआ है और अधिनियम के सारे प्रावधान तदनुसार प्रभावी होंगे।

(ख) ऐसे विघटन या टूटन के समय, उक्त फर्म या संघ के सदस्य या हिस्सेदार, उक्त विघटन या टूटन के होने के बावजूद पृथक रूप से तथा संयुक्त रूप से कर भुगतान, ब्याज तथा शास्ति राशि सहित यदि कोई हो, के लिए दायी होने, इस अधिनियम के अधीन ऐसे फर्म या व्यक्तियों के एशोसियेशन, चाहे विघटन या टूटन के पूर्व कर–निर्धारण हुआ है या नहीं।

18. **लेखा–पुस्तों का संधारण** – प्रत्येक स्वत्वधारी, जो इस अधिनियम की धारा 3 और 4 के अधीन कर देने का दायी है प्राप्त किराया, वसूले गए अन्य भुगतान (charge), ग्राहक पंजी या निर्गत कैशमेमो एवं ग्राहक को निर्गत यथा विहित रसीद की सच्ची और पूर्ण लेखा संधारित करेगा।

19. **निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण** –कर–निर्धारण प्राधिकारी या इस प्रयोजनार्थ विहित कोई अन्य प्राधिकारी, अपना यह समाधान होने की दृष्टि से कि इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है:

(क) किसी समय किसी होटल में प्रवेश कर सकेगा

(ख) किसी होटल के स्वत्वधारी से कोई बही, लेखा या अन्य दस्तावेज अपने समक्ष पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा।

(ग) किसी कमरे का अधिभोग अभिनिश्चित करने के लिए उसका निरीक्षण कर सकेगा, और

(घ) विस्तृत जांच के लिए किसी बही, लेखा और दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा,

परन्तु यह कि अभिगृहीत बहियों, लेखा और दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्वत्वधारी को रसीद दे दी जाएगी।

20 **विमुक्ति** –राज्य सरकार कतिपय शर्त्तों के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस अधिनियम के अधीन होटल के कमरे अथवा होटल के सूट पर देय किराये के भुगतान से विमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

21. **अपील** – धारा 9, 11 एवं 12 के अधीन कर निर्धारण के आदेश या पुनर्कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण से कोई व्यथित स्वत्वधारी, आदेश की या

मांग की सूचना तामील होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर संयुक्त आयुक्त (अपील) या इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के पास, विहित रीति से, अपील कर सकेगा और संयुक्त आयुक्त (अपील) या इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी अपीलकर्त्ता को सुनने के बाद निर्धारण या शास्ति के उक्त आदेश को संपुष्ट, वातिल या उपान्तरित कर सकेगा।

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी अपील दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकेगा, यदि आवेदक उसका समाधान करे कि समय पर अपील दायर करने में उसे पर्याप्त कारण से बाधा पड़ी है।

परन्तु यह भी कि ऐसे अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, बशर्त्ते ऐसे प्राधिकारी यह सन्तुष्ट हों कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित कर या कर की ऐसी राशि के 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का भुगतान कर दिया गया है।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी अपील के निष्पादन के क्रम में –

(क) कर–निर्धारण आदेश, सूद या शास्ति या सभी को सम्पुष्ट, घटा, बढ़ा या समाप्त कर सकेंगे।

(ख) कर–निर्धारण आदेश, सूद या शास्ति या सभी को निरस्त कर सकेंगे एवं कर–निर्धारण पदाधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में अन्वेषण करते हुए पुनर्कर–निर्धारण हेतु निदेशित करेंगे।

22. **पुनरीक्षण** – यथाविहित नियमों के अध्यधीन, धारा 21 के अधीन अपील पर किया गया आदेश, आवेदन करने पर अधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि ऐसा आवेदन तभी ग्रहण किया जाएगा जबकि वह पुनरीक्षित किये जाने के लिए अपेक्षित आदेश की संसूचना की तारीख के 90 दिनों के भीतर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां अधिकरण का यह समाधान हो जाए कि अपीलकर्त्ता पर्याप्त कारणों से समय पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं कर पाया है वहां वह विलम्ब माफ कर सकेगा।

23. **अभिलेख मांग करने की शक्ति** – आयुक्त, स्वप्रेरणा से इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी, धारा 22 में सन्निहित के अलावे, द्वारा पारित आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपने समाधान के प्रयोजनार्थ उस आदेश की कार्यवाही का अभिलेख मंगाकर उसकी परीक्षा कर सकेगा और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने या कराने के बाद किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा।

24. **पुनर्विलोकन** – यथा विहित नियम की शर्त्त के अनुसार, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 की उपधारा (2) के

अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी या न्यायाधिकरण इस अधिनियम के अधीन, उनके द्वारा पारित आदेश को पुनर्विलोकित कर सकेगा। परन्तु यह कि स्वत्वधारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा, यदि इसका परिणाम कर वृद्धि या अर्थदंड या दोनों हो।

25. **वापसी** – किसी स्वत्वधारी द्वारा धारा 9 के अधीन कर–निर्धारण के कारण अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में पारित आदेश के आधार पर अन्तिम रूप से अवधारित रकम से अधिक रकम अदा की गयी हो, तो वह रकम विहित रीति से उसे लौटा दी जाएगी।

26. **अपराध और शास्ति** – (1) यदि कोई स्वत्वधारी, जिसमें इस धारा के प्रयोजनार्थ कर्मचारी, प्रबंधक या ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होगा, जो अपराध होने के समय, होटल के प्रबन्ध का प्रभारी या उत्तरदायी रहा हो –

(क) इस अधिनियम और उसके अन्तर्गत निमित्त नियमावली में यथा उपबन्धित लेखा और रजिस्टर न रखे या रखने में उपेक्षा करे, बिल या कैशमेमों नहीं दे या देने में उपेक्षा करे, या

(ख) निरीक्षण के दौरान कोई जानकारी न दे या देने में उपेक्षा करे अथवा बही, लेखा रजिस्टर और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करे या प्रस्तुत करने में उपेक्षा करे, या

(ग) धारा 7 और 8 के अधीन यथापेक्षित विवरणी प्रस्तुत नहीं करे या कर और शास्ति का भुगतान नहीं करे, या

(घ) इस अधिनियम के अधीन कर्त्तव्य अनुपालन में किसी प्राधिकारी को बाधा पहुँचायी तो वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक एक हो सकेगी, या जुर्माना जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2)(क) आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञापन नहीं लेगा, और

(ख) प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी से अन्यून कोटि का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) दंड–प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

27. **अपराधों का प्रशमन** – (1) विहित प्राधिकारी धारा 25 के अधीन गठित कार्यवाही के पूर्व या उपरांत, उक्त धारा के अधीन या इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किसी नियम के अधीन अपराध के प्रशमन के रूप में दो हजार से अधिक राशि स्वत्वधारी से स्वीकार कर सकेगा।

(2) विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन निर्धारित उक्त राशि के भुगतान के उपरांत उसी अपराध हेतु कोई अग्रेतर कार्रवाई स्वत्वधारी के विरूद्ध नहीं की जा सकेगी।

28. **कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन** – इस अधिनियम या इसके अध्यधीन बने नियम के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिए, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी या पदाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

29. **नियम बनाने की शक्ति** – (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत नियमावली बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो एक सत्र या दो लगातार सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि जिस सत्र में रखा गया हो अथवा उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पहले, विधान मंडल नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो, अथवा विधान मंडल सहमत हो कि नियम बनाया नहीं जाए तो उसके बाद यथास्थिति नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही लागू होगा अथवा लागू ही नहीं होगा, किन्तु ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी कार्य की विधि–मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

30. **निरसन और व्यावृति** – (1) बिहार होटल विलास–वस्तु कराधान अधिनियम 1988 (बिहार अधिनियम 5, 1988) एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम तथा निर्गत अधिसूचनाएँ जैसा कि झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किया गया है, को एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से निरसित किया जाता है।

(2) निरसन से –

क) निरसन के प्रभावी होने के समय कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, वह पुनः प्रवर्तित नहीं होगी, या

ख) निरसित अधिनियमों के अंतर्गत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व जो निर्धारी तिथि के तत्काल पूर्व की अवधि में किसी कार्य के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा, या

ग) निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या अधिरोपित कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड प्रभावित नहीं होगा, या

घ) निरसित अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित कोई अन्वेषण, जांच, निर्धारण, कार्यवाही, कोई अन्य विधिक कार्यवाही या उपचार प्रभावित नहीं होगा और उपरोक्तानुसार किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अथवा निरसित अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी की गई या प्रवर्तित किसी कार्यवाही या उपचार को इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अधीन संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित माना जाएगा।

(3) निरसित अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए, सभी नियम, आदेश, की गई नियुक्तियॉ एवं प्रकाशित अधिसूचनाऍ, प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रदत्त शक्तियॉ एवं अन्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को (निरसित अधिनियम के अधीन निबंधित व्यवसायी द्वारा राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना अथवा वैसे औद्योगिक इकाईयों के विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण या विशाखन पर लिए जा रहे औद्योगिक रियायत के अधिकारों को छोड़कर) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्रमिक रूप से निर्मित, प्रकाशित, प्रदत्त अथवा किए हुए माने जाएंगें जब तक कि उक्त नियम और अधिसूचनाऍ इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो अथवा परिवर्तित, अधिक्रमित अथवा रद्द नहीं किये गये हों।

(4) किसी नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में निरसित अधिनियमों की किसी धारा के बारे में कोई निर्देश इस अधिनियम की संगत धारा के लिए निर्देशित करना माना जाएगा, जहाँ तक इस अधिनियम के असंगत न हों, जब तक कि उक्त नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में आवश्यक संशोधन नहीं किये जाते।

(5) इस अधिनियम में उपबंधित परिसीमा उत्तरवर्ती रूप से लागू होगी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले घटित होने वाली सभी घटनाएं और उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे निरसित अधिनियमों में उपबंधित परिसीमा या अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

31. कठिनाईयों का निराकरण –

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई सामने आती है, तो राज्य सरकार अवसर के आवश्यकतानुसार आदेश देकर उस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है बशर्ते वे इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हों।

32. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ –

(i) झारखण्ड होटल विलास–वस्तु कराधान अध्यादेश, 2011 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या 04, 2011) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्गत आदेश, अधिसूचनाएं एवं अन्य कोई भी कार्यवाही या अन्य कोई कार्य इस अधिनियम द्वारा या के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया था, की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था, अथवा कार्रवाई की गयी थी।

अनुसूची।

[धारा 3(1) देखें]

क्रमांक	विवरण	कर दर
(1)	(2)	(3)
1.	कमरे का किराया प्रतिदिन रू0 200 से अधिक एवं रू0 800 से कम होने पर।	8%
2.	यदि होटल के कमरे का किराया प्रतिदिन रू0 800 से अधिक हो, पर प्रतिदिन रू.3000 से कम होने पर।	12.5%
3.	यदि होटल के कमरे का किराया प्रतिदिन रू0 3000 से अधिक होने पर।	8%
4.	बैंक्वेट हॉल या विवाह हॉल या घर या रेस्टोरेंट या दूसरा हॉल या अन्य भवन/ परिसर /मैदान जिसमें ऐसे परिसर/ मैदान/ कोट यार्ड संलग्न हों चाहे ऐसे परिसर खुला हो या अन्यथा हो का किराया प्रतिदिन रू0 3000 से अधिक होने पर।	12.5%

यह विधेयक झारखण्ड होटल विलास-वस्तु कराधान विधेयक, 2011 दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 2 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 56--50--13-9-2011 ।